



उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com
E-mail dg-info-uk@nic.in

दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 74 / सू.एवं.लो.सं.वि.(फो.प्रभाग)08 / 2011

दिनांक: 22 जून 2017

निविदा सूचना

राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं विभिन्न कार्यकर्मों का व्यापक प्रचार प्रसार आम जन के मध्य एसएमएस एवं वाईस कॉल के माध्यम से कराये जाने हेतु इस कार्य के लिए विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत इस विभाग के पत्र संख्या 30 / सू.एवं लो.सं.वि. (फो.प्रभाग) 8 / 2011, दिनांक 15 अप्रैल 2017 तथा संख्या 49 / सू.एवं लो.सं.वि. (फो.प्रभाग) 8 / 2011, दिनांक 17 मई 2017 के माध्यम से प्रतिष्ठित एवं अनुभवी फर्मों से तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 07 जून 2017 तक आमंत्रित किये गये थे। जिसकी समय सीमा को आगामी दिनांक 14 जुलाई 2017 सायं 05 बजे तक विस्तारित किया जाता है।

प्राप्त निविदा प्रस्तावों को विभागीय निविदा समिति द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2017 सायं 4.00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति/अनुपस्थिति दोनों ही दशाओं में खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 24 जून 2017 से दिनांक 14 जुलाई, 2017 अपरान्ह 02.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में विभाग के लेखा प्रभाग में रु 500/- + वाणिज्यकर (नियमानुसार) जमा कर इलैक्ट्रॉनिक प्रभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र को विभागीय वेबसाइट www.uttra information.gov.in पर भी देखा जा सकता है। डाउनलोड किये गये प्रपत्र के लिए भी निर्धारित समय सीमा के भीतर शुल्क विभाग के लेखा प्रभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।

महानिदेशक

निविदा मूल्य पांच सौ +वाणिज्य कर रु.68/- कुल 568/-



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com
E-mail dg-info-uk@nic.in

दूरभाष : 0135—2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 75 / सू.एवं.लो.सं.वि.(इलै०मी०) 08 / 2011

दिनांक : 22 जून, 2017

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रपत्र क्य करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14 जुलाई, 2017 अपरान्ह 02.00 बजे तक।
2. मुहरबन्द निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14 जुलाई 2017 सायं 05.00 बजे तक।
3. मुहरबन्द निविदा खुलने की तिथि दिनांक 15 जुलाई 2017 अपरान्ह 04.00 बजे।

(डॉ० अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

(क) तकनीकी शर्तें :—

प्रपत्र-1

- फर्म को तकनीकी निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र -1 में दिये गये कालमों के आगे निर्धारित स्थान पर विवरण उपलब्ध कराना होगा।

1.	फर्म का नाम	
2.	फर्म का पूरा पता	
3.	फर्म का दूरभाष एवं मोबाइल नं०	
4.	फर्म का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) में पंजीकरण संख्या	
5.	व्यापार कर/सेवाकर विभाग में पंजीकरण संख्या (TIN no.)	
6.	फर्म का आयकर विभाग में पंजीकरण संख्या (PAN no.)	
7.	विगत तीन वर्षों के टर्न औवर की पुष्टि में चार्टड एकाउटेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की प्रति	
8.	विगत तीन वर्षों के आयकर रिट्टन की प्रतियां	
9.	अनुभव के पुष्टि के प्रमाण —पत्र	
10.	एस.एम.एस एवं वाईस कॉल से संबंधित कान्सेप्ट	
11.	निविदा प्रपत्र के अनुसार अन्य शर्तों का विवरण	

फर्म का नाम:

पता

टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर.....

प्रोपराइटर के हस्ताक्षर.....

(ख) वित्तीय निविदा प्रपत्र -2

(अ)

एस.एम.एस हेतु

क्र०सं०	एस.एम.एस सम्बन्धी विवरण	एस.एम.एस. भेजने की दर रूपये में			
		पाँच लाख तक	5 लाख से 15 लाख तक	15 लाख से अधिक	
1	लोकल एस.एम.एस. की दर (प्रति एस.टी.डी.)				
2	अन्तर्राज्यीय (एस.टी.डी.) एस.एम.एस. की दर (प्रति एस.एम.एस.)				
3	अन्तर्राष्ट्रीय (आई.एस.डी.) एस.एम.एस की दर (प्रति एस.एम.एस.)				

नोट:- उपरोक्त के कुल योग में जिनकी दरें न्यूनतम होंगी अन्तिम रूप से उनकी दरें एल-1 के आधार पर स्वीकृत की जायेगी।

(ब)

वॉयस काल हेतु

क्र०सं०	वॉयस काल सम्बन्धी विवरण	वॉयस काल की दर रूपये में			
		एक लाख तक	5 लाख तक	5लाख से अधिक	
1	लोकल वॉयस काल की दर (प्रति वॉयस काल)				
2	अन्तर्राज्यीय (एस.टी.डी.) वॉयस काल की दर (प्रति वॉयस काल)				
3	अन्तर्राष्ट्रीय (आई.एस.डी.) वॉयस काल की दर (प्रति वॉयस काल)				

नोट:- उपरोक्त के कुल योग में जिनकी दरें न्यूनतम होंगी अन्तिम रूप से उनकी दरें एल-1 के आधार पर स्वीकृत की जायेगी।

फर्म का नाम:

पता
.....

टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर.....

प्रोपराइटर के हस्ताक्षर.....

राज्य सरकार नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार प्रदेशभर में एस.एम.एस एवं वॉयस काल के माध्यम से करने हेतु आमंत्रित प्रस्तावों के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें :—

(क) तकनीकी शर्तें :—

1. फर्म को तकनीकी निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र -1 में दिये गये कालमों के आगे निर्धारित स्थान पर विवरण उपलब्ध कराना होगा।
 2. फर्म का देहरादून में कार्यालय/अधिकृत प्रतिनिधि होना आवश्यक है, पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 3. फर्म को एस.एम.एस एवं वाईस कॉल कार्य हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI में पंजीकृत होना आवश्यक है। पुष्टि हेतु प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 4. फर्म का व्यापार कर अथवा सेवाकर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है, पुष्टि हेतु प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
 5. फर्म का एस.एम.एस एवं वाईस कॉल कार्य का वार्षिक टर्नओवर रु. 20 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। पुष्टि हेतु गत तीन वर्ष की सी.ए. से प्रमाणित बैलेस शीट की प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।
 6. फर्म का गत तीन वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. फर्म को कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए पुष्टि में दिये गये/किये गये कार्यों के प्रमाण पत्र संलग्न करने अनिवार्य होंगे।
- 8- The agency should have the following technical capabilities (these are minimum requirements)
- viii- Dedicated High End Server
 - ix- Connectivity across mobile operators / Aggregator (the publisher should have direct connect/agreement with the telecome operator)
 - x- Web based API link.
 - xi- Minimum 200 TPS connectivity.
 - xii- Support for all regional languages (should support fully UNICODE compliant messaging)
 - xiii- 24X7 support link.
 - xiv- Real time access thtough delivery report.
9. एजेन्सी के पास कम से कम 5 लाख उत्तराखण्ड के उपभोक्ताओं का डाटाबेस होना चाहिए।
 10. निविदादाता फर्म को तकनीकी निविदा प्रस्ताव के साथ रु. 50000/-रुपये पचास हजार मात्र का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर/सीडीआर अर्नेस्ट मनी के रूप में महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के नाम संलग्न करना होगा।
 11. फर्म को एस.एम.एस एवं वाईस कॉल से संबंधित कॉन्सेप्ट का प्रस्तुतीकरण तकनीकी निविदा समिति के समक्ष करना अनिवार्य होगा। जिस फर्म द्वारा कान्सेप्ट का प्रस्तुतिकरण नहीं किया जायेगा, उसके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) वित्तीय शर्तें :—

1. निविदादाता फर्म को एस.एम.एस एवं वाईस कॉल कार्य की दरें वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र-2 पर निर्धारित कालमों के सामने ही समर्त व्यय एवं करों सहित दरें एकमुश्त अंकित करनी होगी। जिस फर्म द्वारा निर्धारित परिपत्र पर एकमुश्त दरें अंकित नहीं की जायेगी। उनकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ग) अन्य शर्तें:-

1. निविदादाता फर्म को एस.एम.एस. और वॉयस काल भेजने हेतु मोबाइल नम्बर का विवरण स्वयं उपलब्ध कराना होगा। जिसकी सूची विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेगी। इस हेतु फर्म को पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता फर्म को एस.एम.एस.एवं वॉयस काल के सम्बन्ध में संकल्पना एवं परिकल्पना विभाग से समन्वय कर स्वयं करनी होगी।
3. एस.एम.एस. एवं वॉयस काल के माध्यम से प्रचार-प्रसार का कार्य लगभग एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि तक किया जायेगा। जिसका उल्लेख फर्म के साथ किये जाने वाले अनुबंध में स्पष्ट कर दिया जायेगा।
4. निविदादाता फर्मों को तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग सील बन्द लिफाफे में बन्दकर उनके ऊपर एस.एम.एस. और वॉयस काल हेतु तकनीकी प्रस्ताव तथा एस.एम.एस. और वॉयस काल हेतु वित्तीय प्रस्ताव फर्म के पूर्ण पते सहित अंकित करने होंगे। उक्त दानों लिफाफों को एक अन्य सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर एस.एम.एस. और वॉयस काल हेतु निविदा प्रस्ताव तथा फर्म का पूर्ण पता, फोन/मोबाइल नम्बर सहित अंकित होना चाहिए।
5. कार्य हेतु चयनित फर्म को प्रत्येक माह किये गये कार्य के बीजक भुगतान हेतु प्रस्तुत करने होंगे। प्राप्त बीजकों का भुगतान निर्धारित दर पर आयकर की कटौती करते हुए किया जायेगा तथा आय कर कटौती विषयक प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ही दिया जायेगा।
6. सम्बन्धित फर्म को सेवाकर का भुगतान सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र /पंजीयन संख्या उपलब्ध कराने पर ही किया जायेगा।
7. जिस फर्म की दरें अंतिम रूप से स्वीकार होंगी, उसे स्वयं के खर्च पर विभाग के साथ रूपये एक रौप्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
8. जिस फर्म को एस.एम.एस. एवं वॉयस काल के माध्यम से प्रचार-प्रसार का कार्य दिया जायेगा, उस फर्म को कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में रूपये 1.00 लाख (एक लाख) का बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा ररीद (एफडीआर/बैंक गारन्टी) अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र (एन.एस.सी.) महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के पदनाम से विभाग में बन्धक रखना होगा।
9. बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को कार्य/ठेका स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
10. फर्म द्वारा उनको आवंटित कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने तथा सन्तोषजनक व अपेक्षानुसार कार्य सम्पन्न न करने की स्थिति में उनको किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
12. फर्म का चयन हो जाने मात्र से ही फर्म को कार्य दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी।
13. एस.एम.एस. एवं वॉयस काल के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना/विवरण के लिए कार्यालय महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून से सम्पर्क किया जा सकता है।
14. निविदा में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण न करने वाली फर्मों के प्रस्ताव निरस्त माने जायेंगे।
15. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
16. किसी भी दशा में विवाद के लिए न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।